19

अध्यक्ष केन्द्रीय चयन पर्षद
(सिपाही भर्त्ती) का कार्यालय
10 MAY 2024
....
बिहार (पटना)

पत्रांक–3/एम०–15/2024सा०प्र०.....7256...../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

एम0 एस0 अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
केन्द्रीय चयन पर्षद्,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक 09.05.2024

OSD/ Exam
Put up in file with ref.
13/05/24

विषयः– इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण–पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्रों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–406 दिनांक–02.05.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगवर्णित पत्र के संबंध में कहना है कि केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्त्ती), बिहार, पटना द्वारा इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण–पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा अचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्रों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों द्वारा डिग्री प्रमाण–पत्र/प्रमाण–पत्रों की समकक्षता/मान्यता के संबंध में निम्नांकित आदेश निर्गत है–

(i) संकल्प ज्ञापांक–3366 दिनांक–12.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में विभिन्न मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता के संदर्भ में आदेश निर्गत है। उक्त संकल्प में मौलवी प्रमाण–पत्र को विश्वविद्यालय इण्टरमीडिएट के समकक्षता प्रदान की गयी है।

(ii) संकल्प ज्ञापांक–10540 दिनांक–28.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राज्य सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए भारत के निवासियों द्वारा देश के अन्दर/बाहर अवस्थित संस्थानों से प्राप्त की उपाधियों/डिग्रियों की मान्यता के संबंध में निर्णय संसूचित है।

(iii) संकल्प ज्ञापांक–13584 दिनांक–01.10.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एवं बिहार सहित अन्य

आवश्यक कार्रवाई हेतु
Ray
13/05/24

Examination section N/A
Ray
14/05/24

sec-3/santosh prakash/ 3-M-miss

R 773/के०च०प०
14.05.24

राज्य सरकारों द्वारा गठित मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/डिग्री की मान्यता से संबंधित निर्णय संसूचित है।

3. बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के समकक्षता से संबंधित प्रमाण–पत्रों के संबंध में शिक्षा विभाग से पत्राचार किया जा सकता है।

अनु0ः– यथोक्त

विश्वासभाजन

(एम0 एस0 अंसारी)
सरकार के अवर सचिव